

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
कार्यालय-आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.19 द्वारा श्रीमती निर्मला, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, बींझबायला (श्रीगंगानगर) का स्थानान्तरण राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर एवं श्रीमती किरण नागपाल, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर से राउमावि, बाजुवाला, श्रीगंगानगर किया गया। इस कार्यालय के आदेश दिनांक- 09.10.2019 द्वारा श्रीमती निर्मला का पदस्थापन यथावत राबाउमावि, बींझबायला (श्रीगंगानगर) एवं श्रीमती किरण नागपाल का यथावत राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर किया गया।

इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती निर्मला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या-15579/2019 निर्मला बनाम राज्य सरकार दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-15.10.2019 में याचिकार्थी को रथगन प्राप्त होने के आधार पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक- 26.11.19 द्वारा याचिकार्थी निर्मला को यथावत राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर में पदस्थापन किया गया एवं दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण श्रीमती राजेन्द्र कौर का समायोजन राबाउमावि, मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर किया गया।

इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती राजेन्द्र कौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या-18086/2019 राजेन्द्र कौर बनाम राज्य सरकार दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-18.12.2019 में याचिकार्थी को रथगन प्राप्त होने के आधार पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक-15.01.2020 द्वारा याचिकार्थी राजेन्द्र कौर को यथावत राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर में पदस्थापन किया गया एवं दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण श्रीमती राजकुमारी का समायोजन राबाउमावि, मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर किया गया।

याचिका संख्या-15579/19 निर्मला बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक-18.02.2020 में Respondent No.3 श्रीमती किरण नागपाल को निकटतम रिक्त स्थान पर पदस्थापन के निर्देश प्रदान किये हैं, याचिका संख्या-18086/2019 राजेन्द्र कौर बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक-18.02.2020 में श्रीमती राजेन्द्र कौर को यथावत राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर में पदस्थापन के लिये तीन दिवस में प्रत्यर्थी विभाग को औपचारिक आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये हैं तथा याचिका संख्या-1262/2020 राजकुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक-18.02.2020 में प्रत्यर्थी विभाग को तीन दिवस में औपचारिक आदेश जारी करने अथवा दिनांक-15.01.2020 को जारी किये गये आदेश को प्रत्याहारित करने के निर्देश प्रदान किये हैं।


माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक-18.02.2020 की पालना में श्रीमती निर्मला एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर एवं श्रीमती राजकुमारी राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित रहेंगी तथा श्रीमती किरण नागपाल, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर का समायोजन राबाउमावि, मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर में किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./निर्मला/राजेन्द्र कौर/राजकुमारी/2020 दिनांक- 21/02/2020

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
 2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
 3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, श्रीगंगानगर
 5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
 6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
 8. संबंधित प्रधानाचार्य-
 9. संबंधित कार्मिक-
 10. गार्ड फंजिका।


अनुयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर